रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 14—जनवरी 20, 2018, शनिवार/पौष 24—पौष 30, 1939
No. 3] NEW DELHI, JANUARY 14— JANUARY 20, 2018, SATURDAY/ PAUSA 24—PAUSA 30, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

[केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (के.अ.ब्यूरो)]

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) (सामान्य केंद्रीय सेवा, गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी समूह-'ग' पदों) (बहुकार्यन कर्मचारी) भर्ती नियम 2002 जो न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में प्रयोगशाला सहायक के पद से संबंधित हैं, में उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या जिनका लोप किया गया है, के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में बहुकार्यन कर्मचारी (तकनीकी) के पद के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारंभ.—**(1) इन नियमों को केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गृह मंत्रालय (बहुकार्यन कर्मचारी-तकनीकी), समूह-'ग' पद भर्ती नियम 2017 कहा जायेगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण, पे-बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा संबंधित पे-बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ जुडी अनुसूची के कॉलम संख्या 2 से 4 में दिये गये के अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं एवं इनसे जुडे अन्य मामले कथित अनुसूची के कॉलम संख्या (5) से (13) के अनुसार होंगे।

4. निरहर्ता.-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम सं.	कालम का शीर्ष	अनुमोदित नियमों में प्रावधान	संशोधित प्रस्तावित प्रावधान	कारण
1	पद का नाम	प्रयोगशाला परिचर, केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)	बहुकार्यन कर्मचारी (तकनीकी)	6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सीएफएसएल (सीबीआई) प्रयोगशाला के लिए तकनीकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए।
2	पदों की संख्या	16 *(2002) *कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन	16 *(2017) *कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन	--
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा (ग्रुप सी), अराजपत्रित गैर-मंत्रालयी।	कोई बदलाव नहीं	--
4	पे मैट्रिक्स में लेवल	रु. 2650-65-3300-70-4000	1	7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार।
5	क्या नियुक्ति मेरिट अथवा नियुक्ति-सह-वरिष्ठता अथवा गैर-नियुक्ति के आधार पर की गयी है।	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	--

6	सीधी नियुक्ति की आयु-सीमा	18-27 वर्ष	18-25 वर्ष **नोट:** आयु-सीमा के निर्धारण के लिsए अंतिम तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (एवं न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य के लहुअल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पंगी अनुमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई तिथि) रोजगार केन्द्र के द्वारा की जाने वाली भर्ती में आयु-सीमा निर्धारण की अंतिम तिथि रोजगार केन्द्र से नाम मांगे जाने की अंतिम तिथि होगी।	डीओपीटी का.ज्ञा. न.एबी-14017/6/2009-इएसटीटी (आरआर) दिनांक 30.04.2010 के अनुसार।
7	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	**अनिवार्य:** 8वी उत्तीर्ण। **वांछनीय:** प्रयोगशाला में काम का 1 साल का अनुभव।	**अनिवार्य:** मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।	6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों को समूह घ से समूह ग में उन्नत कर दिया गया है।
8	क्या पदोन्नति के मामलों में भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गईं आयु-सीमा एवं शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी।	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	--
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	दो वर्ष	कोई बदलाव नहीं	--
10	नियुक्ति की पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हो तथा अन्य विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा क्रम संख्या 12 पर ग्रुप-ग के लिए वर्णित वि.प.स. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का निर्णय लेगी।	6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों को ग्रुप घ से ग्रुप ग में पदोन्नत कर दिया गया है।
11	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के द्वारा भर्ती की स्थिति में जिस पद से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति होनी है उसका वेतन मैट्रिक्स में लेवल	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	--

12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संयोजन	लागू नहीं	**निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी (विचार एवं पुष्टि हेतु) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति:** 1. निदेशक, केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) -अध्यक्ष 2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) –सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो। -सदस्य 4. गृह मंत्रालय के अपर सचिव -सदस्य	
13	भर्ती की प्रक्रिया में वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद है अथवा गैर-चयनित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहुकार्यन कर्मचारी (तकनीकी)	16 *(2017) *कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित गैर-मंत्रालयी।	1	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अहर्ताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
(6)	(7)	(8)	(9)
18-25 वर्ष **नोट :** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (एवं न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	**अनिवार्य:** मैट्रिक परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं	दो वर्ष

नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लददाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य के लहुअल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पंगी अनुमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई तिथि) रोजगार केन्द्र के द्वारा की जाने वाली भर्ती में आयु-सीमा निर्धारण की अंतिम तिथि रोजगार केन्द्र से नाम मांगे जाने की अंतिम तिथि होगी।			

नियुक्ति की पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हो तथा अन्य विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा भर्ती की स्थिति में जिस पद से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति होनी है उसका वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा क्रम संख्या 12 पर ग्रुप-ग के लिए वर्णित वि.प.स. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का निर्णय लेगी।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, उसका संयोजन क्या है।	भर्ती की प्रक्रिया में वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी (विचार एवं पुष्टि हेतु) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. निदेशक, केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) -अध्यक्ष 2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) –सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो। -सदस्य 4. गृह मंत्रालय के अपर सचिव -सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 9-41/2014-सीएफएसएल(सीबीआई)]

आर. के. सोनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY (CBI)]

New Delhi, the 11th January, 2018

G.S.R. 24 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) (General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial Group 'C' Posts) (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2002, in so far as it relates to the post of Laboratory Attendant Central Forensic Science Laboratory, (Central Bureau of Investigation), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff (Technical) in the Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation (Multi Tasking Staff - Technical), Group 'C' post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Col. No.	Title of the Column	Provision in the Approved Rules	Revised Provision Proposed	Reason
1.	Name of the Post	Laboratory Attendant Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation)	Multi Tasking Staff (Technical)	As per 6th Centre Pay Commission recommendations and technical background required in CFSL (CBI) Laboratory.
2.	No. of Posts	16* (2002) *Subject to variation dependent on Workload	16* (2017) *Subject to variation dependent on Workload	--
3.	Classification	General Central Service (Group C), Non-Gazetted Non-Ministerial.	No Change	--
4.	LEVEL in the PAY MATRIX	Rs. 2650-65-3300-70-4000	1	As per the 7th CPC recommendations

5.	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection	Not applicable	No change	--
6.	Age-Limit for Direct recruits	18-27 years	18-25 years **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahual & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	As per DOPT OM No. AB 14017/6/ 2009-Estt. (RR) dt. 30.04.2010
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential :** VIIIth Standard Pass **Desirable:** One year's experience of work in a Laboratory.	**<u>Essential:</u>** Matriculation or equivalent pass. .	Technical Staff enhanced from Group D to Group C as per 6th CPC recommendations.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable	No Change	--
9.	Period of probation, if any	Two years	No change	--
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By direct Recruitment	By direct recruitment, . The group-C DPC committee at Sl. No. 12 will decide the criteria for calling candidate for written examination and interview.	Technical Staff enhanced from Group D to Group C as per 6th CPC recommendations.
11.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, LEVEL in the PAY MATRIX from which promotion or deputation/ absorption to be made	Not applicable	No change	--

12.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering and confirmation) consisting of:** 1. Director, Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation). - Chairman 2. Principal Scientific Officer (Administration), Central Forensic Science Laboratory, (Central Bureau of Investigation.) - Member 3. Administrative Officer (Personnel), Central Bureau of Investigation. - Member 4. Under Secretary of MHA. - Member	--
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable	No change	

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the PAY MATRIX	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff (Technical)	16* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General, Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	1	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years of age **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahual & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential :** Matriculation or equivalent pass. .	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, LEVEL in the PAY MATRIX from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment The group-C DPC committee at Sl. No. 12 will decide the criteria for calling candidate for interview.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering and confirmation) consisting of: 1. Director, Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation). - Chairman 2. Principal Scientific Officer (Administration), Central Forensic Science Laboratory, (Central Bureau of Investigation - Member 3. Administrative Officer (Personnel), Central Bureau of Investigation. - Member 4. Under Secretary of MHA. - Member	Not applicable.

[F. No. 9-41/2014-CFSL(CBI)]

R. K. SONI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 25 .—राष्ट्रपति एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) (समूह-'ग' पद) के भर्ती नियम 2008 जो न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में स्टोरकीपर ग्रेड-I के पद से संबंधित हैं, में उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या जिनका लोप किया गया है, के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में स्टोर कीपर ग्रेड-I (सामान्य ग्रेड) के पद के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्टोर कीपर, समूह-ग पद भर्ती नियम 2017 कहा जायेगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में लेवल.**—पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा पे मैट्रिक्स में लेवल इन नियमों के साथ जुडी अनुसूची के कॉलम संख्या (2 से 4) में दिये गये के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं एवं इनसे जुडे अन्य मामले कथित अनुसूची के कॉलम संख्या (5 से 13) के अनुसार होंगे।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यायवृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद है अथवा गैर-चयनित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टोर कीपर ग्रेड-I	(2017) 1 * * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित गैर-मंत्रालयी।	4	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18-25 वर्ष बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट) **नोट:** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (एवं न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लददाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई तिथि) अथवा आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित तिथि होगी। (लागू नहीं-उस मामले में जहां सीधी भर्ती द्वारा भर्ती	(क) (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वद्यिालय से 12वीं उत्तीर्ण। (ii) किसी स्टोर अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार, स्वायत्त/सांविधिक संगठन, पीएसयू अथवा विश्वविद्यालय/बैंकों या भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध संस्था अथवा निजी क्षेत्र संगठन में स्टोर संचालन एवं लेखा रखरखाव में 2 वर्षों का अनुभव। अथवा (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/व्यावसायिक अध्ययन/लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में स्नातक की उपाधि। **नोट 1:** की स्थिति में सक्षम अधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार लिखित कारण दर्ज करते हुए शैक्षिक अर्हता में छूट दी जा सकती है। **नोट 2:** यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से वांछित अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो, सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित

प्रक्रिया नहीं है) (यदि सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया द्वारा सीधी भर्ती हो तब आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के मध्य होगी)	अभ्यर्थियों के मामले में लिखित कारण दर्ज करते हुए अनुभव से संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं में छूट दी जा सकती है।

क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
(8)	(9)
लागू नहीं	सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारियों के लिए दो वर्ष पदोन्नति से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 'शून्य'

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हो तथा अन्य विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति /आमेलन के द्वारा भर्ती की स्थिति में जिस पद से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति होनी है उसका ग्रेड
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, उसका संयोजन क्या है	भर्ती की प्रक्रिया में वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति: 1. निदेशक, केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) -अध्यक्ष 2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) –सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो -सदस्य 4. गृह मंत्रालय के अपर सचिव -सदस्य	लागू नहीं।

क्रम संख्या	कालम का शीर्ष	अनुमोदित नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
1.	पद का नाम	स्टोर कीपर, केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)	स्टोर कीपर, ग्रेड-I	का.ज्ञा. सं.एबी-14017/2014-ईएसटीटी. (आरआर) दिनांक16.01.2015 द्वारा जारी नमूना भर्ती नियमों के अनुसार

2.	पदों की संख्या	1 *(2008) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन	1 *(2017) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन	मात्र वर्ष बदला गया है
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह ग), अराजपत्रित गैर-मंत्रालयी।	कोई बदलाव नहीं।	-
4.	पे बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान, पे मैट्रिक्स में लेवल	रु. 4000-100-6000	4	7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार
5.	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	-
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष) **नोट 1:** नोट-आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (एवं न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लददाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई तिथि) **नोट 2:** उस मामले में जिसमें रोजगार कार्यालय के माध्यम से	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष) **नोट :** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (एवं न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लददाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई तिथि) अथवा आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित तिथि होगी। (लागू नहीं-उस मामले में जहां सीधी भर्ती द्वारा भर्ती प्रक्रिया नहीं है) (यदि सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया द्वारा सीधी भर्ती हो तब आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के मध्य होगी)	डीओपीटी के का.ज्ञा. न. एबी-14017/11/2014-स्था. (आरआर) दिनांक 16.01.2015 द्वारा जारी नमूना भर्ती नियमों के अनुसार

		भर्ती होने की स्थिति में आयु-सीमा निर्धारण की अंतिम तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।		
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	**अनिवार्य:** मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से (i) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। (ii) प्रमुख सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के कार्यालयों में स्टोर संचालन और लेखा रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव । **वांछनीय:** लेखाशास्त्र में डिप्लोमा अथवा वाणिज्य या अर्थशास्त्र, सांख्यिकी के विषय के साथ स्नातक की डिग्री। **नोट:** यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह मत है कि इन समुदायों से वांछित अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित कारण दर्ज करते हुए छूट दी जा सकती है।	(क) (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वी उत्तीर्ण। (ii) किसी स्टोर अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार, स्वायत्त/सांविधिक संगठन, पीएसयू अथवा विश्वविद्यालय/बैंको या भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध संस्था अथवा निजी क्षेत्र संगठन में स्टोरसंचालन एवं लेखा रखरखाव में 2 वर्षो का अनुभव। अथवा (ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/ व्यावसायिक अध्ययन/ लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में स्नातक की उपाधि। **नोट 1:** सुयोग्य उम्मीदवारों की स्थिति में सक्षम अधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार लिखित कारण दर्ज करते हुए शैक्षिक अर्हता में छूट दी जा सकती है। **नोट 2:** यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से वांछित अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए	डीओपीटी के का.ज्ञा; सं. एबी-14017/11/2014-स्था. (आरआर) दिनांक 16.01.2015 द्वारा जारी नमूना भर्ती नियमों के अनुसार

			उपलब्ध नहीं है तो, सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं में लिखित कारण दर्ज करते हुए छूट दी जा सकती है।	
8.	क्या पदोन्नति के मामलों में भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गईं आयु-सीमा एवं शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	डीओपीटी के का.ज्ञा. सं. एबी-14017/11/2014स्था. (आरआर) दिनांक 16.01.2015 द्वारा जारी नमूना भर्ती नियमों के अनुसार
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	दो वर्ष	सीधे भर्ती होने वालों के लिए दो वर्ष तथा पदोन्नत होने वालों के लिए शून्य	वही
10.	नियुक्ति की पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा अन्य विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	
11.	भर्ती/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा भर्ती की स्थिति में जिस पद से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति होनी है उसका वेतन मैट्रिक्स में लेवल	लागू नहीं	लागू नहीं	-
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो इसका संयोजन	**निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी (स्थायीकरण पर विचार हेतु) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति:** 1. निदेशक, केन्द्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)-अध्यक्ष 2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय	कोई बदलाव नहीं	

		न्यायवैधक प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो –सदस्य 4. गृह मंत्रालय के अपर सचिव –सदस्य		
13.	भर्ती की प्रक्रिया में वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की जानी है।	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	

[फा. सं. 9-41/2014-सीएफएसएल(सीबीआई)]

आर. के. सोनी, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

G.S.R. 25 .—In Exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in partial supersession of the Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2008, in so far as it relates to the post of Store Keeper, Grade-I, Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Store keeper, Grade-I, in the Central Forensic Science Laboratory, (Central Bureau of Investigation), in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, Store Keeper, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of the Post, Classification, Level in the Pay Matrix.---**The number of said post, its classification, Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2 to 4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.---**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 to 13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to said post:

provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.:

5. **Power to Relax. ---**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. ---** Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Store Keeper, Grade-I	(2017) 1* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	4	Not applicable

Age-limit for direct recruits
(6)
Between 18 to 25 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshadweep). OR The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Not applicable – in case direct recruitment is not a method of recruitments). (The age-limit shall be 'Between 18 and 27 years' if the direct recruitment is by the method of Direct Open Competitive Examination)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(A)(i) 12th pass from a recognized Board/University. (ii) Two year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or a concern of Central or State Govt., autonomous/statutory organization, PSUs or University/Banks or in a Private Sector Organization listed on the stock exchange(s) of India. OR (B)Bachelor's Degree with Commerce/Economics/Statistics/ Business Studies/Public Administration as a subject from a recognized University/Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority/Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not Applicable	Two years for direct recruits. NIL for promotees.

Method recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of : 1. Director Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) - Chairman 2. Principal Scientific Officer (Administration), Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) - Member 3. Administrative Officer, Central Bureau of Investigation - Member 4. Under Secretary, MHA, New Delhi - Member	Not applicable.

Sl. No.	Title of the Column	Provision in the Approved Rules	Revised Provision Proposed	Reason
1.	Name of the Post	Store Keeper Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation)	Store-keeper Grade-I	As per Model RRs issued vde OM No.AB-14017/11/2014-Estt.(RR) dated 16.01.2015
2.	Number of Post	1 *(2008) *Subject to variation dependent on workload	1 *(2017) *Subject to variation dependent on workload	Only year is changed
3.	Classification	General Central Service (Group C), Non-Gazetted Non-Ministerial.	No Change	
4.	LEVEL in the PAY MATRIX	Rs. 4000-100-6000	**4**	As per 7^{th} CPC Recommendations
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable	Not applicable	
6.	Age-limit for direct recruits	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in case of General candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates	As per Model RRs issued vide OM No.AB-14017/ 11/2014-Estt.(RR) dated 16.01.2015 of DoPT.

		Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshadweep). OR The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Not applicable – in case direct recruitment is not a method of recruitments. (The age-limit shall be 'Between 18 to 27 years' if the direct recruitment is by the method of Direct Open Competitive Examination)	
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University. (ii) One year experience in handling store and keeping accounts in a concern of repute in Public or Private Sector. **Desirable :** Diploma in Accountancy or a Bachelor's Degree with Commerce or Economics or Statistics as a Subject. **Note :** the Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is the opinion that sufficient number of requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	(A)(i) 12 pass from a recognized Board/ University. (ii) Two year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or a concern of Central or State Govt., autonomous/statutory organization, PSUs or University/Banks or in a Private Sector Organization listed on the stock exchange(s) of India. OR (B) Bachelor's Degree with Commerce/Economics/ Statistics/Business Studies/ Public Administration as a subject from a recognized University/ Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/ Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	As per Model RRs issued vide OM No.AB-14017/ 11/2014-Estt.(RR) dated 16.01.2015 of DoPT.

			Note 2: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority/Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable	Not Applicable	As per Model RRs issued vide OM No.AB-14017/ 11/2014-Estt.(RR) dated 16.01.2015 of DoPT
9.	Period of probation, if any	Two years	Two years for direct recruits, NIL for promotees.	--do--
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment	By Direct recruitment.	
11.	In case of recruitment/deputation/absorption, Level in the Pay Matrix/ from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not applicable	Not applicable	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Director Central Forensic Science Laboratory, Central	No change	

		Bureau of Investigation) - Chairman 2. Principal Scientific Officer (Administration), Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) - Member 3. Administrative Officer, Central Bureau of Investigation - Member 4. Under Secretary of MHA, New Delhi –Member		
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not applicable.	No Change.	

[F. No. 9-41/2014-CFSL(CBI)]

R. K. SONI, Under Secy.

(केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

सा.का.नि.26.—राष्ट्रपति एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) (समूह-ग पदों) के भर्ती नियम, 2008, जो केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में स्टॉफ कार ड्राइवर के पद से संबंधित है, ने उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या जिनका लोप किया गया है, के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में स्टॉफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) के पद के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**(1) इन नियमों को केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गृह मंत्रालय स्टॉफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) वर्ग-ग पद भर्ती नियम 2017 कहा जाएगा ।

(2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण, पे-मैट्रिक्स के स्तर.—**पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण तथा पे-मैट्रिक्स के स्तर इन नियमों के साथ जुड़ी अनुसूची के कॉलम संख्या (2) से (4) में दिए गए के अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं एवं इनसे जुड़े अन्य मामले कथित अनुसूची के कॉलम संख्या (5) से (13) के अनुसार होंगे।

4. **निरहर्ता.**–वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यायवृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मैट्रिक्स का स्तर	चयनित पद या गैर चयनित पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टॉफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)	3* (2017) *कार्यभार पर निर्भरता के अनुसार परिवर्तन	सार्वजनिक केंद्रीय सेवा वर्ग- 'ग' अराजपत्रित गैर-मंत्रालयी	2	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(6)
18-25 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की रियायत) **नोट 1 :** उम्र सीमा तय करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की समापन तिथि के अनुसार होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पंगी अनुमंडल, लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए निर्धारित की गई समापन तिथि के अनुसार)।

सीधी भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यताओं को पदोन्नत प्रार्थियों के मामले में भी लागू किया जाएगा, या नहीं ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्यः (i) मोटरगाड़ी चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस । (ii) मोटरगाड़ी की मशीनों का ज्ञान (अभ्यर्थी को गाड़ी में होने वाली छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए) (iii) मोटरगाड़ी चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव ; और (iv) 10वीं कक्षा उतीर्ण ।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वाले या पुनर्नियुक्त होने वालों के लिए 2 वर्ष

भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के माध्यम से और विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन की स्थिति में पे-मैट्रिक्स का स्तर जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन की जानी है।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन न किए जाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए:- प्रतिनियुक्ति/ पुर्ननियुक्ति	**1. प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-** केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में पे-मैट्रिक्स के स्तर पर कार्यरत वर्ग-'ग' के कर्मचारी और नियमित डिस्पैच राइडर (वर्ग--'ग') के ऐसे कर्मचारी जिनके पास मोटरगाड़ी चलाने की क्षमता के मूल्यांकन के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसके न होने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में पे-मैट्रिक्स स्तर 1 में नियमित रूप से डिस्पेच राइडर अथवा नियमित रूप से कार्यरत समूह-'ग' के कर्मचारी जो कॉलम 7 में उल्लेखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करतें हैं। सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/पुनः नियुक्तिः सशस्त्र बलों के वे कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त होने वाले हैं या जिनका स्थानांतरण एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना है और जिनके पास निर्धारित योग्यता एवं आवश्यक शैक्षिक अहर्ताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि, सशस्त्र बलों से उनकी कार्यमुक्ति की तिथि तक होगीः इसके पश्चात वे पुनः नियुक्ति पर जारी रह सकते हैं। केंद्र सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पूर्व अन्य बाह्य संवर्ग में धारित पद सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। नोटः प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होने वाली नियुक्ति की आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की समापन तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो, उसका संयोजन	नियुक्तियां करते वक्त जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह-मश्विरा की जा सकती है।
(12)	(13)
निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी (संपुष्टि पर विचार करने हेतु) वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समितिः 1. निदेशक, केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) - अध्यक्ष 2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन), केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो – सदस्य 4. गृह मंत्रालय के अपर सचिव - सदस्य	लागू नहीं

क्रम सं.	कॉलम का शीर्ष	अनुमोदित नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
1.	पद का नाम	स्टॉफ कार ड्राइवर, केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)	स्टॉफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)	डीओपीटी के सं. एबी-14017/10/2014-स्था.(आरआर) (3104937) दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से जारी नमूने आरआर के अनुसार
2.	पदों की संख्या	3 • (2008) • कार्यभार पर निर्भरता के अनुसार परिवर्तन	3 • (2017 • कार्यभार पर निर्भरता के अनुसार परिवर्तन	केवल वर्ष बदलता है।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा (वर्ग- 'ग'), अराजपत्रित गैर-मंत्रालयी।	कोई बदलाव नहीं	-
4.	पे-मैट्रिक्स के स्तर	रु. 3050-75-3950-80-4590	2	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार।
5.	चयनित पद या गैर चयनित पद।	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	-
6.	सीधी भर्तियों के लिए आयु-सीमा	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार सामान्य वर्ग के सरकारी सेवकों को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 45 वर्ष तक आयु में छूट दी जा सकती है। **नोट 1:** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (एवं न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य के लछुअल एवं स्पीति और चंबा जिले के पंगी अनुमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की अंतिम तिथि) **नोट 2 :** रोजगार केंद्र के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की स्थिति में आयु-सीमा निर्धारण की अंतिम तिथि उस तिथि तक होगी जिस तिथि तक रोजगार केंद्र को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।	18 से 25 वर्ष । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष की अवधि तक की आयु-सीमा की छूट प्राप्त होगी। **नोट1:** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (एवं न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य के लछुअल एवं स्पीति और चंबा जिले के पंगी अनुमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की अंतिम तिथि) • यदि सीधी भर्ती, खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जानी हो तो आयु-सीमा 18 - 27 वर्ष होगी।	डीओपीटी के सं. एबी-14017/10/2014-स्था.(आरआर) (3104937) दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से जारी नमूने आरआर के अनुसार
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य	**अनिवार्यः** (i) मोटरगाड़ियों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना।	**अनिवार्यः** (i) मोटरगाड़ियों के लिए वैध ड्राइविंग	डीओपीटी के सं. एबी-14017/10/2014-स्था.(आरआर)

	अर्हताएं।	(ii) मोटरगाड़ियों की मशीनों का ज्ञान (उम्मीदवार को गाड़ी में होने वाली छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। (iii) गाड़ी चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव। **वांछनीयः** (i) 8वीं उत्तीर्ण (ii) गृह रक्षक या सिविल वोलेन्टियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **नोटः** यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अनुभवी अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं है तो वह इन कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए अपने विवेकानुसार अनुभव में छूट दे सकता है।	लाइसेंस का होना। (ii) मोटरगाड़ियों की मशीनों का ज्ञान (उम्मीदवार को गाड़ी में होने वाली छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। (iii) गाड़ी चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव। (iv) 10वीं उत्तीर्ण **वांछनीयः** गृह रक्षक या सिविल वोलेन्टियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा।	(3104937) दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से जारी नमूने आरआर के अनुसार
8.	क्या पदोन्नति के मामले में भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु-सीमा एवं शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी।	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	डीओपीटी के सं. एबी-14017/10/2014-स्था.(आरआर) (3104937) दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से जारी नमूने आरआर के अनुसार
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	दो वर्ष	पुनः नियुक्त होने वाले या सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	डीओपीटी के सं. एबी-14017/10/2014-स्था.(आरआर) (3104937) दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से जारी नमूने आरआर के अनुसार
10.	नियुक्ति की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा अन्य विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिएः प्रतिनियुक्ति/ पुनः नियुक्ति	डीओपीटी के सं. एबी-14017/10/2014-स्था.(आरआर) (3104937) दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से जारी नमूने आरआर के अनुसार
11.	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा भर्ती की स्थिति	प्रतिनियुक्ति/आमेलन कॉलम 8 में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखने वाले किसी उपयुक्त ड्राइवर को किसी अन्य सरकारी संगठन से लिया जा सकता है।	1. प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में पे-	डीओपीटी के सं. एबी-14017/10/2014-स्था.(आरआर) (3104937) दिनांक

	में जिस पद से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाना है उसका ग्रेड	(सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	मैट्रिक्स के स्तर पर कार्यरत वर्ग-'ग' के कर्मचारी और नियमित डिस्पैच राइडर (वर्ग-'ग') के ऐसे कर्मचारी जिनके पास मोटरगाड़ी चलाने की क्षमता के मूल्यांकन के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसके न होने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में पे-मैट्रिक्स स्तर 1 में नियमित रूप से डिस्पेच राइडर अथवा नियमित रूप से कार्यरत समूह-'ग' के कर्मचारी जो कॉलम 7 में उल्लेखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करतें हैं। सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/पुनः नियुक्तिः सशस्त्र बलों के वे कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त होने वाले हैं या जिनका स्थानांतरण एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना है और जिनके पास निर्धारित योग्यता एवं आवश्यक शैक्षिक अहर्ताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि, सशस्त्र बलों से उनकी कार्यमुक्ति की तिथि तक होगीः इसके पश्चात वे पुनः नियुक्ति पर जारी रह सकते हैं। केंद्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पूर्व अन्य बाह्य संवर्ग में धारित पद सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। **नोटः** प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होने वाली नियुक्ति की आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की समापन तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	04.07.2014 के माध्यम से जारी नमूने आरआर के अनुसार
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संयोजन।	**निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी (विचार एवं पुष्टि हेतु) वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समितिः** 1. निदेशक, केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला	कोई बदलाव नहीं	

		(केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) - अध्यक्ष 2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन), केंद्रीय न्यायवैधक प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो – सदस्य 4. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के अपर सचिव - सदस्य		
13	भर्ती करने की परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की जानी है।	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	

[फा. सं. 9-41/2014-सीएफएसएल(सीबीआई)]

आर. के. सोनी, अवर सचिव

(CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY)

New Delhi, the 11th January, 2018

G.S.R.26 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2008, in so far as it relates to the post of Staff Car Driver Central Forensic Science Laboratory, (Central Bureau of Investigation), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, Level in the pay Matrix.—**The number of post, its classification, Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, ---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	3* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	2	Not applicable

Age-limit for direct recruits
(6)
18-25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note: 2 :** If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive examination, the age-limit shall be 18-27 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defect in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years.; and (iv) pass in 10th standard. **Desirable:** Three years service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note 1 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, Level in the Pay Matrix from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Deputation/absorption failing which by direct recruitment. **For Armed Forces Personnel:** Deputation/re-employment	1**. Deputation/absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group 'C' employees in Level in the PAY MATRIX 1 in the Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) who posses valid driving license for motor car on the basis of a diving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Level in the PAY MATRIX– Level-1 in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualification as mentioned in column (7). Deputation/re-employment of Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note :** The Maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Department promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director, Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation). - Chairman 2. Principal Scientific Officer (Administration), Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) - Member 3. Administrative Officer, Central Bureau of Investigation - Member 4. Under Secretary, MHA, New Delhi. - Member	Not applicable.

Col. No.	Title of the Column	Provision in the Approved Rules	Revised Provision Proposed	Reason
1.	Name of the Post	Staff Car Driver Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation).	Staff Car Driver (Ordinary grade)	As per Model RR issued by DoPT vide No.AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04/07/2014.
2.	No. of Post	3 * (2008) *Subject to variation dependent on workload	3 * (2017) *Subject to variation dependent on workload	Only year is changed
3.	Classification	General Central Service (Group C), Non-Gazetted Non-Ministerial	No change	
4.	Level in the PAY MATRIX	Rs. 3050-75-3950-80-4590	2	As per the recommendations of 7th CPC
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable	No Change	
6.	Age-limit for direct recruits	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government Servants up to the age of 40 years in case of General candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	18-25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). • If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination, the age;limit would be 18-27 years.	As per Model RR issued by DoPT vide No.AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04/07/2014.

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential :** (I) Possession of a valid driving licence for motor cars. (II) Knowledge of motor mechanism (candidate should be able to remove minor defects in vehicles) (III) Experience of driving a motor car for at least three years. **Desirable :** (I) A pass in the 8th Standard. (II) Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	**Essential :** (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years.; and (iv) pass in 10th standard. **Desirable**: 3 years' service as Home Guard/ Civil Volunteer. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	As per Model RR issued by DoPT vide No.AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04/07/2014
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable	No Change	
9.	Period of probation, if any	Two years	Two years for direct recruits or re-employed.	As per Model RR issued by DoPT vide No.AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04/07/2014
10.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption	By Direct Recruitment failing which by deputation or absorption.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. **For Armed Forces Personnel:**	As per Model RR issued by DoPT vide No.AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04/07/2014

	and percentage of the posts to be filled by various methods.		Deputation/re-employment.	
11.	In case of recruitment by Promotion/ deputation/ Absorption, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	Deputation or Absorption By taking suitable driver from other Government organisation who fulfil the necessary qualifications as mentioned in Col. 8. (Period of deputation ordinarily not exceeding five years).	1.Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group 'C' employees in Level in the Pay Matrix 1 in the Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) who posses valid driving license for motor car on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Level in the PAY MATRIX - 1 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualification as mentioned in column (7). Deputation/ re-employment of Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed	As per Model RR issued by DoPT vide No.AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04/07/2014 and 7 CPC.

			three years.The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Group 'C' Department promotion Committee (for considering and confirmation) consisting of :** 1. Director, Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation). - Chairman 2. Principal Scientific Officer (Administration), Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation) - Member 3. Administrative Officer, Central Bureau of Investigation - Member 4. Under Secretary of MHA, New Delhi. - Member	No Change	
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not applicable	No Change.	

[F. No. 9-41/2014-CFSL(CBI)

R. K. SONI, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018

सा.का.नि.27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय अधीन केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में टेलिफोन प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (टेलिफोन प्रचालक), भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद, पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है ,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं ,उन्हें लेखबद्ध करके ,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
टेलिफोन प्रचालक	01* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 3 (रु. 21700-69100/-)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठन के ऐसे अधिकारीः- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात सदृश पद धारित किए हुए हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

	(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास अथवा समतुल्य। (ii) सरकारी प्राधिकृत समुत्थान से इलेक्ट्रोनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच ऐक्सचेंज (ई.पी.ए.बी.एक्स.) में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** (i) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान। (ii) हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने में प्रवीणता। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.-23011/203/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह,अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 2018

G.S.R.27 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telephone Operator in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Telephone Operator) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .—**The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telephone Operator	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	**Deputation:** Officer of the Central or State Police Organisation: - (a) holding analogous post after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department. (b) possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential :** (i) 12^{th} class or equivalent pass from a recognised Board. (ii) one year's experience in handling Electronic Private Automatic Branch Exchange from a government authorised concern.	Not applicable	Not applicable.

	Desirable: (i) working knowledge of computer. (ii) spoken language proficiency in English and Hindi. **Note 1:** Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/203/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि.28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में अनुदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (अनुदेशक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
अनुदेशक	3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर-5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	21 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में अधिमानत: बेचलर डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डिप्लोमा या समतुल्य; **शारीरिक मानदंड:** ऊंचाई-165 सेमी. से अन्यून (पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी. शिथिलनीय), सीना-81 सेमी. सामान्य, न्यूनतम फुलाव 5 सेमी. भार 50 किग्रा से अन्यून, श्रवण शक्ति, सामान्य, वाणी, सामान्य.	लागू नहीं होता	दो वर्ष

वांछनीय: 1. मान्यताप्राप्त संस्थान से मेडिकल फर्स्ट एड रेस्पोंडर अथवा अरबन सर्च एण्ड रेसक्यू कोर्स 2. पूर्णकालिक सेवा संगठन या राष्ट्रीय अग्निसेवा महाविद्यालय, नागपुर में अग्निशमन या अध्यापन या प्रशिक्षण में अनुभव; 3. भारी वाहन का विधिमान्य ड्राइविंग लायसेंस 4. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप-अधिकारी पाठयक्रम में उत्तीर्ण; **निरर्हता:** शारीरिक विकृति, लंबी बीमारी, वर्णान्धता, भेंगापन, सपाट पैर, जुड़ी टांगे परादर्शक त्रुटि को निरर्हता के रूप में माना जाएगा। **टिप्पण 1:** अन्यथा अर्हक अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से संबंधित मामलों में अनुभव संबंधी योग्यता में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर तब छूट प्रदान की जा सकती है जब चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु अनूसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित अनुभव धारक अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इसके अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण रिक्तियां प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी।	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो (क)(i) मूल सवंर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) पे मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) वेतन के स्तर 4 में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

	शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय अभिपुष्टि समिति (अभिपुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्निलखित होंगे :- 1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस एंड होमगार्डस -अध्यक्ष 2. अग्निशमन सलाहकार, महानिदेशक अग्निशमन, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का कार्यालय - सदस्य; और 3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा, महाविद्यालय, नागपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I-12014/01/2015-प्रशा. (सीडी) पार्ट फाइल]

गौतम घोष, निदेशक

New Delhi, the 18th January, 2018

G.S.R. 28.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Instructor in the National Fire Service College, Nagpur under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur (Instructor) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .—**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. —**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
Instructor	3* (2017). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Civil Service Group 'C' -Non-Gazetted. .

Level in pay matrix	Whether selection or non selection post	Age-limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Level-5 (₹29200-92300/-)	Not applicable	Between 21 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdaweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits
(7)
Essential : 1. Bachelor Degree preferably in science from a recognised University or Three years Diploma in any branch of Engineering from a recognised University or Institution or State Technical Education Board. Physical Standard:- Height : Not less than 165 cm(relaxable by 5cm. for hill area candidates), Chest-81 cm normal, minimum expansion 5 cm. Weight- Not less than 50 kg , Hearing: Normal, Speech: Normal. **Desirable:** 1. Medical Fist Aid Responder (MFR)/ Urban Search & Rescue course (USAR) course from a recognised Institute. 2. Experience in fire fighting /teaching /training in a full time fire service organization/National Fire Service College, Nagpur. 3. Valid Heavy Vehicle Driving License. 4. Pass sub-Officers Course from the National Fire Service College, Nagpur. **Disqualification:** Physical deformity, chronic diseases, colour blindness, squint eye , flat foot, bow legs and refractive error will be consider as disqualification. **Note:** Person selected or appointed shall have to produce Medical Certificate of fitness from Civil Surgeon or District Medical Officer to the effect that the individual is able bodied and does not have any deficiency in any limb and not suffering from any contagious disease. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, If any
(8)	(9)
Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or recognised research Institutions or Semi- Government or statutory or autonomous organizations. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-4 (₹25500-81100); and (b) Possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee(for promotion or Confirmation) Consisting of : 1. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard – Chairperson 2. Fire Adviser O/o DG (FS, CD & HG) - Member; and 3. Director, National Fire Service college, Nagpur - Member.	Not applicable.

[F. No. I-12014/01/2015-Ad. (CD)Pt. file]

GOUTAM GHOSH, Director

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

सा.का.नि.29.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केंद्रीय स्वापक ब्यूरो (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय स्वापक ब्यूरो (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (ii) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय स्वापक ब्यूरो (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2001 में,-

   (अ) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

(आ) अनुसूची में,-

(i) स्तंभ (4) में,-

(क) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रु.)"

(ii) स्तंभ (12) में, प्रोन्नति शीर्ष के अधीन "5000-8000 रु. के वेतनमान में निरीक्षक" शब्दों और अंको के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर 7 में निरीक्षक" शब्द, अंक और कोष्ठक को रखा जाएगा ।

[फा. सं. 10ए12/7/16-एडी-IIबी]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव (एडी-IIबी)

टिप्पणी : प्रधान नियमावली को सा.का.नि. 392 दिनांक 19 जुलाई, 2001 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th January, 2018

G.S.R. 29 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Bureau of Narcotics (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2001, namely:-

1 (i) These rules may be called the Central Bureau of Narcotics (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Bureau of Narcotics (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2001, -

(A) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix. —The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.";

(B) in the Schedule, -

(i) in column (4),-

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix";

(b) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level 8 in the Pay Matrix (Rs. 47600-151100)"

(ii) in column (12), under the heading Promotion:, for the words and figures "Inspector in the scale of pay of Rs. 5000-8000", the words, figures and brackets "Inspector in Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400)", shall be substituted.

[F.No. 10A12/7/2016-Ad.IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy. (Ad.IIB)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 392 dated the 19th July, 2001.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय कैमरामैन-सह-प्लेट-मेकर और सहायक कैमरामेन-सह-प्लेट-मेकर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2014, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली में केमरामेन-सह-प्लेट-मेकर और सहायक कैमरामेन-सह-प्लेट-मेकर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विस्तार निदेशालय, कैमरामेन-सह-प्लेट-मेकर और सहायक कैमरामेन-सह-प्लेट-मेकर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वें होगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-सयम पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.कैमरामेन-सह-प्लेट-मेकर	2*(2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-5, (रु. 29,200-92,300)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यार्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष कर तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करकें 45 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पणः** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पागी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10+2 पास या समतुल्य। 2. कैमरा प्रणाली और प्लेट बनाने के कार्य में पाँच वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयुः नहीं। **शैक्षित अर्हताः** हाँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; और 60% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नतिः ऐसे सहायक कैमरामेन-सह-प्लेट-मेकर जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चकर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. उपनिदेशक (प्रशा.) विस्तार निदेशालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (विस्तार), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना), विस्तार निदेशालय - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक कैमरामेन-सह-प्लेट-मेकर	2*(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर – 4, (रु. 25,500-81,100)	लागू नहीं होता

(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशो के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यार्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष कर तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करकें 45 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पणः** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पागी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10+2 पास या समतुल्य। 2. कैमरा प्रणाली और प्लेट बनाने के कार्य में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जायेगीः- (क) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. उपनिदेशक (प्रशा.) विस्तार निदेशालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (विस्तार), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना), विस्तार निदेशालय - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1-6/2014-विस्तार (भ.नि.)]

मदन लाल अटल, अवर सचिव (विस्तार)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 8th January, 2018

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Directorate of Extension, Cameraman-cum-plate-maker and Assistant Cameraman-cum-plate-maker (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Cameraman-cum-plate-maker and Assistant Cameraman-cum-plate-maker in the Directorate of Extension, Pusa, New Delhi, under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Extension, Cameraman-cum-plate-maker and Assistant Cameraman-cum-plate-maker, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix – The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. –** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Cameraman-cum-plate-maker	2*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs. 29,200-92,300)	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 to 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	1. 10+2 pass or equivalent from a recognised university or Board. 2. Five years experience of process camera and plate making. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidate otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any state of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption grades from which promotion/deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No. Educational qualification: yes	Two years for direct recruits	40% by promotion failing which by direct recruitment; and 60% by direct recruitment	**Promotion:** Assistant Cameraman-cum-plate-maker with five years regular service in the grade. **Note :** Whether juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director (Administration), Directorate of Extension - Chairman 2. Under Secretary (Extension), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member 3. Joint Director (Farm Information), Directorate of Extension - Member 4. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Cameraman-cum-plate-maker	2*(2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25,500-81,100)	Not applicable

(6)	(7)
Between 18 to 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from	1. 10+2 pass or equivalent from a recognised university or Board. 2. Three years experience of process camera and plate making work. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidate otherwise well qualified.

candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Casts or Scheduled Tribes if at any state of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more will be filled by deputation basis from officers of the Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Director (Administration), Directorate of Extension - Chairman 2. Under Secretary (Extension), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member 3. Joint Director (Farm Information), Directorate of Extension - Membe 4. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member	Not applicable.

[F. No. 1-16/2014-Extn.(RRs)]

M. L. ATAL, Under Secy. (Extn.)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

सा.का.नि.31.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे (i) विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रयोगशाला खंड (समूह **क** और **ख** पदों), भर्ती नियमावली,1983 (ii) विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रयोगशाला खंड (समूह **क** और **ख** पदों), भर्ती (संशोधन) नियमावली,1985 और (iii) विपणन और निरीक्षण निदेशालय, निदेशक, प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 1988 के अतिक्रमण में और ऐसे अतिक्रमण से पूर्व मामलों को छोड़कर, उनका जिस प्रकार इन पदों से संबंध है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय, के प्रयोगशाला खण्ड में प्रयोगशाला निदेशक, सहायक निदेशक, मुख्य रसायनज्ञ एवं वरिष्ठ रसायनज्ञ के पदों पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रयोगशाला खंड (समूह **क** और **ख** पदों), भर्ती नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक विनिर्दिष्ट होगें

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति**,—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रयोगशाला निदेशक	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78,800-2,09,200 रुपए)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित	(i) **प्रोन्नति:** ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित हो और कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विहित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से श्रेणीकरण एवं चिन्हन अधिसूचित कृषि वस्तओं और जैविक सामग्री के विश्लेषण कार्य में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब होगा जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ii) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) –** केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वैच्छिक या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ;या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो ; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात - **अनिवार्य :** (i) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों कानूनी या स्वायत संगठनों या सर्वाजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और कैलीब्रेशन प्रयोगशाला बोर्ड से कृषि वस्तु और जैविक सामग्री के विश्लेषण कार्य में आठ वर्षों के अनुभव सहित और इस अवधि में से पांच वर्ष के पर्यवेक्षण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से रसायन विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या दुग्ध रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या विष विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में एमएससी; या (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत या कानूनी संगठनों या सर्वाजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों

	या राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और कैलीब्रेशन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं से कृषि वस्तु या जैविक सामग्री के विश्लेषण कार्य में नौ वर्षों के अनुभव और इस अवधि में से पांच वर्ष के पर्यवेक्षण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य संस्थान से तैल या खाद्य या रसायनिक प्रौद्योगिकी में बी.टेक। **वांछनीय :-** (i) खाद्य प्रौद्योगिकी या तैल प्रौद्योगिकी या रसायन प्रौद्योगिकी में एम.टेक या रसायन विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जैव विज्ञान या दुग्ध रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी या तैल प्रौद्योगिकी या विष विज्ञान में पीएच.डी (ii) कृषि वस्तु मानको के निर्धारण में अनुसंधान अनुभव (iii) प्रकाशित कार्य में यथा परिलक्षित कृषि वस्तु और जैविक सामग्री में अनुसंधान अनुभव **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर सचिव – सदस्य 3. संयुक्त सचिव–सह कृषि विपणन सलाहकार - सदस्य 4. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद के अपर कृषि विपणन सलाहकार या संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार - सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 सहायक निदेशक	2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100-177500 रुपए)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित	**प्रोन्नति:-** ऐसे मुख्य रसायनज्ञ जो ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में स्तर-10 में हो और जिन्होंने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान में श्रेणीकरण और चिन्हन के लिए अधिसूचित कृषि वस्तु के विश्लेषण कार्यों में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण**– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) –** केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वैच्छिक या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात - **अनिवार्य :** **(i)** केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात स्वायत या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और कैलीब्रेशन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं से कृषि वस्तु और जैविक सामग्री के विश्लेषण कार्य में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से रसायन विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या दुग्ध रसायन विज्ञान या तैल प्रौद्योगिकी या विष विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में एमएससी; या **(ii)** कृषि वस्तु और जैविक सामग्रीक के विश्लेषणात्मक कार्य में पर्यवेक्षण के रूप में दो वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य संस्थान से तैल या खाद्य या रसायन प्रौद्योगिकी में बी.टेक जिनमें से केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत या कानूनी संगठनों या सर्वाजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और कैलीब्रेशन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं से कृषि वस्तु या जैविक सामग्री के विश्लेषण कार्य में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **वांछनीय:- (i)** कृषि वस्तु मानकों की फार्मिंग में अनुसंधान अनुभव **(ii)** प्रकाशित कार्य में यथा परिलक्षित कृषि वस्तु और जैविक सामग्री में अनुसंधान अनुभव **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की

	अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, कृषि मंत्रालय - सदस्य 3. कृषि विपणन निदेशक या उप सचिव - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन), विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद - सदस्य 5. प्रयोशाला निदेशक, सेंट्रल एग्मार्क प्रयोगशाला, नागपुर - सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे** : 1. संयुक्त सचिव–सह-कृषि विपणन सलाहकार - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव(विपणन) - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन), विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद - सदस्य 4. प्रयोशाला निदेशक, सेंट्रल एग्मार्क प्रयोगशाला, नागपुर - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 मुख्य रसायनज्ञ	5* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रुपए)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति:- ऐसे मुख्य रसायनज्ञ जो स्तर 6 में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में हो और जिन्होंने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा यथा विहित किसी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान में श्रेणीकरण और चिन्हन के लिए अधिसूचित कृषि वस्तु के विश्लेषण कार्यों में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण**– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संयुक्त सचिव–सह-कृषि विपणन सलाहकार - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव(विपणन) - सदस्य 3. अपर कृषि विपणन सलाहकार या संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन), विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद - सदस्य 5. प्रयोशाला निदेशक, सेंट्रल एग्मार्क प्रयोगशाला, नागपुर - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. संयुक्त सचिव–सह-कृषि विपणन सलाहकार - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव(विपणन) - सदस्य 3. अपर कृषि विपणन सलाहकार या संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन), विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद - सदस्य 5. प्रयोशाला निदेशक, सेंट्रल एग्मार्क प्रयोगशाला, नागपुर - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4 वरिष्ठ रसायनज्ञ	20* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति:- ऐसे कनिष्ठ रसायनज्ञ जो स्तर 5 में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में हो और जिन्होंने कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा यथा विहित किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान में श्रेणीकरण और चिन्हन के लिए अधिसूचित कृषि वस्तु के विश्लेषण कार्यों में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण**– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संयुक्त सचिव–सह-कृषि विपणन सलाहकार - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव(विपणन) - सदस्य 3. अपर कृषि विपणन सलाहकार या संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

4.	निदेशक (प्रशासन), विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद	- सदस्य	
5.	प्रयोशाला निदेशक, सेंट्रल एग्मार्क प्रयोगशाला, नागपुर	- सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:			
1.	संयुक्त सचिव–सह-कृषि विपणन सलाहकार	- अध्यक्ष	
2.	निदेशक या उप सचिव(विपणन)	- सदस्य	
3.	अपर कृषि विपणन सलाहकार या संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार	- सदस्य	
4.	निदेशक (प्रशासन), विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद	- सदस्य	
5.	प्रयोशाला निदेशक, सेंट्रल एग्मार्क प्रयोगशाला,नागपुर	- सदस्य	

[फा. सं. 12018/2/2013-एम-I]
मीना के. केरकेटा, अवर सचिव (एम-I)

New Delhi, the 11th January, 2018

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Directorate of Marketing and Inspection, Laboratory Wing (Group 'A' and 'B' posts), Recruitment Rules 1983 (ii) the Directorate of Marketing and Inspection, Laboratory Wing (Group 'A' and 'B' posts), Recruitment(Amendment) Rules 1985 and (iii) the Directorate of Marketing and Inspection, Director of Laboratories Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the posts of, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director of Laboratories, Assistant Director, Chief Chemist and Senior Chemist in the Laboratory Wing, Directorate of Marketing and Inspection under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Marketing and Inspection, Laboratory Wing (Group 'A' and 'B' Posts), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection Post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Director of Laboratories	1* (2018) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix.	Selection post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(10)	(11)
By Promotion failing which Deputation Including Short Term Contract.	i. **Promotion:** "Assistant Director" in level 10 in the pay matrix with ten years of regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in analysis of notified agricultural commodities and organic materials for their grading & marking from a Government recognised institute as prescribed by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. ii. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of Central or State Government or Union Territories or Autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or University or recognised Research Institutions :- A (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Holding post in level-11 in the pay matrix with five years regular service or (iii) in level 10 in the pay matrix with ten years regular service B. Possessing the following educational qualification and experience : **Essential:-** (i) **M.Sc**. in Chemistry or Agricultural Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology or Oil Technology or Toxicology or Biotechnology from a recognised University or equivalent with eight years' work experience in analysis of agricultural commodities and organic materials from Central or State Government or Union territories or Autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertakings or

	Universities or recognised Research Institutions or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory, out of which five years should be in supervisory capacity; or (ii) **B.Tech**. in Oil or Food or Chemical Technology from a recognized University or equivalent with nine years' work experience in analysis of agricultural commodities and organic materials from Central or State Government or Union territories or Autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory, out of which five years should be in supervisory capacity. **Desirable:-** (i) **M.Tech**. in Food Technology or Oil Technology or Chemical Technology or **Ph. D.** in Chemistry or Agricultural Chemistry or Bio-Chemistry or Micro-biology or Dairy Chemistry or Food Technology or Oil Technology or Toxicology. (ii) Research experience in framing of standards of agricultural commodities. (ii) Research experience in Agricultural commodities and organic materials as evidenced by published work. **Note 1:** The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<u>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of</u>:- 1. Chairman or Member Union Public Service Commission - Chairman 2. Additional Secretary -Member 3. Joint Secretary-cum- Agricultural Marketing Adviser -Member 4. Additional Agricultural Marketing Adviser or Joint Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (Including Short Term Contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) Assistant Director.	2* (2018) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial .	Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	2 years for promotees.

(10)	(11)
By Promotion failing which by Deputation Including Short Term Contract.	**PROMOTION :** Chief Chemists in level-7 in the pay matrix with three years' regular service in the grade and has successfully completed 2-4 weeks training in analysis of notified agricultural commodities for their grading and marking in a Government recognised institute as specified by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service **Deputation(Including Short Term Contract) :** Officers of Central or State Government or Union Territories or Autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or University or recognised Research Institutions : A.(i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Holding post in Level 8 in pay matrix with two years regular service and B. Possessing the following educational qualification and experience : **Essential:** (i) **M.Sc**. in Chemistry or Agricultural Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology or Oil Technology or Toxicology or Biotechnology from a recognised University or equivalent with one year experience in the analysis of agricultural commodities and organic materials from Central or State Governments or Union territories or Autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or University or recognised Research Institutions or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory; or (ii) **B.Tech**. in Oil or Food or Chemical Technology from a recognised University or equivalent with two years' work experience in a supervisory capacity in analytical work of agricultural commodities and organic materials out of which one year should be in the analysis of agricultural commodities or organic materials from Central or State Governments or Union territories or Autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertakings or University or recognised Research Institutions or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory. **Desirable:** (i) Research experience in framing of standards for agricultural commodities. (iii) Research experience in agricultural commodities and organic materials as evidenced by published work. **Note 1**: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

	Note 2: Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Additional Secretary, Ministry of Agriculture – Member 3. Director or Deputy Secretary in charge of Agricultural Marketing – Member 4. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad – Member 5. Director of Laboratories, Central Agmark Laboratory, Nagpur – Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :-** 1. Joint Secretary-cum-Agricultural Marketing Adviser – Chairman 2. Director or Deputy Secretary(Marketing) – Member 3. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad – Member 4. Director of Laboratories, Central Agmark Laboratory, Nagpur - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) Chief Chemist.	5* (2018) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion** Senior Chemist in level 6 in the pay matrix with five years' regular service in level-6 and has successfully completed 2-4 weeks training in analysis of notified agricultural commodities for their grading and marking in a reputed Government recognised institute as prescribed by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
<u>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :-</u> 1. Joint Secretary-cum- Agricultural Marketing Adviser - Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Marketing) - Member 3. Additional Agricultural Marketing Adviser or Joint Agricultural Marketing Adviser -Member 4. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad - Member 5. Director of Laboratories, Central Agmark Laboratory Nagpur - Member **<u>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :-</u>** 1. Joint Secretary-cum-Agricultural Marketing Adviser -Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Marketing) - Member 3. Additional Agricultural Marketing Adviser or Joint Agricultural Marketing Adviser -Member 4. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad -Member 5. Director of Laboratories, Central Agmark Laboratory, Nagpur - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) Senior Chemist.	20* (2018) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	2 years.

(10)	(11)
BY Promotion.	**Promotion :** Junior Chemist with six years regular service in level 5 in the pay matrix and has successfully completed 2-4 weeks training in analysis of notified agricultural commodities for their grading and Marking from a Government recognised institute as prescribed by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : - 1. Joint Secretary-cum-Agricultural Marketing Adviser - Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Marketing) - Member 3. Additional Agricultural Marketing Adviser or Joint Agricultural Marketing Adviser - Member 4. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad - Member 5. Director of Laboratories, Central Agmark Laboratory, Nagpur - Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of : -** 1. Joint Secretary-cum-Agricultural Marketing Adviser - Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Marketing) - Member 3. Additional Agricultural Marketing Adviser or Joint Agricultural Marketing Adviser - Member 4. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad - Member 5. Director of Laboratories, Central Agmark Laboratory, Nagpur - Member	Consultation is not necessary with Union Public Service Commission.

[F. No. 12018/2/2013-M-I]

MEENA K. KERKETTA, Under Secy. (M-I)

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2018

सा.का.नि.32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय मछली उद्योग नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह 'ग' हिंदी पद) भर्ती नियम, 1989 जहां तक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों से संबंधित है उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है केंद्रीय मछली उद्योग नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – केंद्रीय मछली उद्योग नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची, वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाद की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियासतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्याक्ति के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ अनुवादक	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या साम्मेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति (प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित))

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
मिश्रित पद्धति [प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)] : **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन केंद्र या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठन के अधिकारी : (अ) (i) मूल संवर्ग या काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हो, या (ii) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन में वेतन मैट्रिक्स (35400 -112400) स्तर—6 या समतुल्य में नियुक्ति आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। (आ) निम्नलिखित शैक्षणिक, अर्हता अनुभव रखते हो ; जैसे-

आवश्यक :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो:

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो:

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या अंग्रेजी माध्यम के रूप में रहा हो :

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या अंग्रेजी माध्यम के रूप में रहा हो:

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हो या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो :

और

हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव हो ।

टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर 6 के आधार में विभागीय कनिष्ठ अनुवादक जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, बाध्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। इस मामले में उसका चयन किया जाता है पद प्रोन्नति द्वारा समझे जाने के लिए भरा माना जाएगा। अन्यथा उसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) भरा माना जाएगा।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	मिश्रित पद्धति द्वारा करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ अनुवादक	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400रु.)	लागू नहीं होता ।

(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, माणिपुर नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो: या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो: या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो: या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हो या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो: और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** अर्हताएं,अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरिक्षत रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंही अन्य परिस्थितियों में से एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियॉ केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनुियक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पद सदृश पर धारण कर रहे हों ख) स्तंभ (7) के अधीन (सीधी भर्ती) के लिए शैक्षणिक अर्हताएं अनुभव रखते हों।

		टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, सीआईएफएनईटी - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, डी ए एच डी एंड एफ - सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सीआईएफएनईटी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 3-26/2014-प्रशासन–V]

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव (मात्स्यिकी)

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 12th January, 2018

G.S.R. 32.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Group 'C' Hindi Posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Senior Translator and Junior Translator in the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely:-

2. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Senior Translator and Junior Translator Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Number of Posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Translator	1 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -7 (Rs. 44900-142400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method—Promotion plus Deputation (including short-term contract)

In case recruitment by Promotion or Deputation or absorption grades from which promotion or absorption or deputation to be made
11
Composite method (**Promotion** plus **Deputation (including short-term contract)**): **Deputation(including short-term contract):** Officers from the Central Government or State Governments or UTS or PSUS or Recognized Research Institutions or Universities or Statutory bodies or Autonomous bodies or Semi-Government organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 in pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **Essential:** (I) Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level. Or Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Or Master's degree of a recognised university in any subject other than **Hindi** or English with Hindi medium **and** English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Or Master's degree of a recognised university in any subject other than **Hindi** or English with English medium **and Hindi** as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

Or

Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

And

(II) Recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State government office, including Government of India undertaking.

Note 1: Departmental Junior Translator in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with 5 years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. In case he or she is selected, the post shall be treated as shall be deemed to have been filled by promotion. Otherwise, it will be treated as having been filled by deputation (including short-term contract).

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while filling the post by composite method.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Junior Translator	1 * (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35500- 112400)	Not applicable

(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants up to 5 years in accordance with instruction or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Divison of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	**Essential :** **(I)** Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level. OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level. OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level.

	OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level. OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the Degree level. AND **(II)** Recognized Diploma or certificate course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government office, including Government of India undertaking. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	2 years	By Direct Recruitment **Note:** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department ; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under col.7" (Period of Deputation including period of Deputation in another Ex-Cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable

(12)	(13)
Group B Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of Direct Recruits) : 1. Director, CIFNET, —Chairman 2. Under Secretary (Fy), Department of AHD&F —Member 3. Senior Administrative Officer, CIFNET —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 3-26/2014 –Admn.-V]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2018

सा.का.नि.33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय मछली उद्योग नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1993, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है केंद्रीय मछली उद्योग नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – केंद्रीय मछली उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाद की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछडे वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 सहायक निदेशक (राजभाषा)	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	मिश्रित पद्धति (प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित))

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
मिश्रित पद्धति {प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)} : **प्रतिनियुक्ति:-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठन के अधिकारी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) स्तर 7 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो (ख) शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ; जैसे:- **आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो: या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो: या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम से रहा हो: या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो: या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हो या इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो । (ii) केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों या स्वायत्त संगठनों या संवैधानिक संगठनों या केंद्रीय या राज्य पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के तहत तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अधिमानतः अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद और शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयोग करने का तीन वर्ष का अनुभव। या केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारें या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान के अधीन हिंदी में या अंग्रेजी में अनुसंधान या हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो। **टिप्पण 1**: ऐसे विभागीय वरिष्ठ अनुवादक का वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) के स्तर 7 में ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवा के साथ बाहरी लोगों के साथ भी विचार किया जाएगा। अगर वह चुने जाते, तो पद इस रूप में माना जाएगा जैसा कि प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) से भरा होने के रूप में माना जाएगा। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व - काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 3-26/2014 प्रशासन–V]

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th January, 2018

G.S.R. 33 .—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Assistant Director (Official Language), in the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely:-

2. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Assistant Director (OL), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Number of Posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Official Language)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group-'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level 10 (Rs. 56100-177500)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitments	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 Year for Promotees	By Composite method- Promotion plus Deputation (including short term contract)

In case recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion committee exists what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method (Promotion plus Deputation (including short term contract)): **Deputation (including short term contract):** Officers from the Central Government or State Governments or UTS or PSUS or Recognized Research Institutions or Universities or Statutory bodies or Autonomous bodies or Semi-Government organizations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **Essential:** (I) Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level. Or Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Or Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Or Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Or Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. (ii) three years' experience of using or applying terminology (Terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Autonomous body or Statutory organizations or PSUS or Universities or Recognized Research or educational institutions. Or Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under central Government or state Governments or autonomous body or statutory organizations or PSUS or Universities or Recognized Research or educational institutions. **Desirable:** Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the constitution at 10th level from a recognized board. **Note 1:** Departmental Senior Translator in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with 3 years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. In case he or she is selected, the post shall be treated as shall be deemed to have been filled by promotion. Otherwise, it will be treated as having been filled by deputation (including short-term contract). **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (Including short		

term contract). Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation (Including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 3-26/2014-Admn.-V]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि.34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी मत्स्यपालन विभाग, सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तभं (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाद की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उस विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक आयुक्त (डेयरी विकास)	04* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11(67700-208700रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(6)	(7)
35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियो से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, माणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक अर्हता:** (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेयरी विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय डिग्री (ii)किसी डेयरी संयंत्र में तकनीकी अधिकारी या डेयरी प्रौद्योगिकीविद या सहायक उत्पादन प्रबंधक या उत्पादन प्रबंधक के रूप में या किसी दुग्ध संघ में उप प्रबंधक या प्रबंधक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव **वाछंनीय :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेयरी विज्ञान या डेयरी माइक्रोबायलोजी: में मास्टर डिग्री **टिप्पण1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अहर्ता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 33.34 प्रतिशत (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिनके न होने पर भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु.) में ऐसा तकनीकी अधिकारी (डेयरी विकास) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारे या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या कृषि विश्ववद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत् या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी।

क (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या

(II) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7(44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो, और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों;

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिक व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय (प्रोन्नति समिति/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (डेयरी विभाग) पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) पशुपालन डेयरी मत्स्यपालन विभाग - सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे** (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष (ii) सयुक्त सचिव (डेयरी विकास) - सदस्य (iii) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य (iv) निदेशक या उप सचिव (डेयरी विकास) - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए-12018/2/2017- प्रशासन-I]

ललित ग्रोवर, अवर सचिव

New Delhi, the 18th January, 2018

G.S.R.34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Assistant Commissioner (Dairy Development), Recruitment rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commissioner (Dairy Development) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Assistant Commissioner (Dairy Development) Group 'Á' post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. –**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, and qualifications etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings. -**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Commissioner (Dairy Development).	4* * (2018) subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 35 years. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of	**Essential qualification:** (i) Degree in Dairy Science or Dairy Technology of four year duration from a recognised University or Institute. (ii) Five years experience as Technical Officer or Dairy Technologist or Assistant Production Manager or Production Manager in a Dairy plant or as Deputy Manager or Manager in a Milk Federation or Union.

Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep Island).	**Desirable** Master's Degree in Dairy Science or Dairy Microbiology from a recognised University or Institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification (s) regarding experience is (are) relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
No	One year for direct recruits and promotees.	66.66 % by promotion failing which by deputation (Including short term contract) 33.34 % by deputation (Including short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: Technical Officer (Dairy Development) in the Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix with seven years regular service in the grade. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):-** Officers under the Central or State Governments or Union territory Administrations or Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or Councils or Public Sector Undertakings or Semi-Government or autonomous or statutory organisations:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 (Rs 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7)

Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly deputaiontist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman (ii) Joint Secretary (Administration),Department of Animal Husbandry Dairying, and Fisheries –Member (iii) Joint Secretary (Dairy Development), Department of Animal Husbandry Dairying, and Fisheries –Member (iv) Director or Deputy Secretary (Administration.), Department of Animal Husbandry Dairying, and Fisheries – Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Joint Secretary (Administration) –Chairman (ii) Joint Secretary (Dairy Development) – Member (iii) Director or Deputy Secretary (Administration.) – Member (iv) Director or Deputy Secretary (Dairy Development) – Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on the each occasion.

[F. No. A-12018/2/2017-Admn.-I]

LALIT GROVER, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि.35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, उपायुक्त (डेयरी विकास) समूह 'क' भर्ती निगम, 2010 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में उपायुक्त (डेयरी विकास) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी मत्स्यपालन विभाग, उपायुक्त (डेयरी विकास) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तभं (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्ति के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उपायुक्त (डेयरी विकास)	02* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12(78800-209200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आम्मेलन द्वारा विभिन्न् पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसा सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11(67700-208700रु.) के वेतनमान की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत् या कानूनी संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानो या परिषदों के अधीन ऐसे अधिकारी- क (1) मूल सवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या समतुल्य (II) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11(67700-208700 रु.) के वेतनमान में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष श्रेणी में सेवा की हो, और । ख) शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से डेयरी प्रौद्योगिकी या डेयरी विज्ञान में डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी विभाग में विशेषज्ञता के साथ डेयरी में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) डेयरी विकास में सरकारी या सहकारी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अनुसंधान और डेयरी विकास संस्थान में ज्येष्ठ पद पर दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होगे। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगे :— (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव (डेयरी विकास) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग -सदस्य (iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग -सदस्य	भर्ती करते समय पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/2/2017- प्रशासन-I]

ललित ग्रोवर, अवर सचिव

New Delhi, the 18th January, 2018

G.S.R.35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Deputy Commissioner (Dairy Development) Group Á' Post, Recruitment rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Dairy Development) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Deputy Commissioner (Dairy Development) Group Á' post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings**. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Commissioner (Dairy Development)	2* (2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Level-12 (Rs 78800-209200)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Promotion: Assistant Commissioner (Dairy Development) with five years regular service in the grade in the scale of pay of Level-11(Rs. 67700-208700) in the pay matrix. **Note:** Where Juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their junior, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations or Agricultural Universities or recognised Research Institutions or Councils: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Level-11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- i) Degree in Dairy Technology or Dairy Science from a recognised University or Institute. ii) Post Graduate Degree in Dairying with specialisation in Dairy Technology or Dairy Science from a recognised University or Institute. iii) Possessing ten years' experience in a senior capacity in dairy development or research in the Government or co-operative sector or in a recognised Research and Development Institution. **Note:** Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman (ii) Joint Secretary (Dairy Development), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries – Member (iii) Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries - Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary at the time of recruitment.

[F. No. A-12018/2/2017-Admn.-I]

LALIT GROVER, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 36 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता (समूह ख और समूह ग पद) भर्ती नियम,1978 को जहां तक उसका संबंध क्र. सं. 1 पर स्थित कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वेतनमान.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	08* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर - 6 (35,400 – 1,12,400 रु.)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) आयु-सीमा निर्धारित करने की तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।	**अनिवार्य** एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक (रसायन विज्ञान में आनर्स रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को वरीयता दी जायेगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—** 1. भारत के औषधि महानियंत्रक – अध्यक्ष 2. औषधि उप नियंत्रक (भारत) – सदस्य 3. निदेशक (प्रशा.) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12034/4/2017-डीआर]

डी.एन. साहू, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi, the 18th January, 2018

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Central Drugs Laboratory, Calcutta (Group B and Group C posts) Recruitment Rules, 1972, in so far

as they relate to the post of Junior Scientific Assistant, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Assistant in the Central Drugs Laboratory, Kolkata, Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Laboratory, Kolkata, Junior Scientific Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.-** The number of post, its classification , the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of upper age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Scientific Assistant.	08*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted (Non-Ministerial).	LEVEL-6 (Rs. 35400-1,12,400).	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** A degree in Science with Chemistry as one of the subjects (Preferably with Honours in Chemistry or Post-graduate Degree in Chemistry.) **Desirable:** M. Sc. with knowledge of drug analysis.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/r absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Drugs Controller General of India -Chairman 2. Deputy Drugs Controller (India) - Member 3. Director (Admin) Central Drugs Standard Control Organisation - Member	Not applicable

[F.No. A-12034/4/2017-DR]

D. N. SAHOO, Dy. Secy.

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि.37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा अधिक्रांत करते हुए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता (श्रेणी **3** और श्रेणी **4** पद) भर्ती नियम, 1972 के जहां तक उसका संबंध मीडियामैन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, करने का लोप किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में मीडियामैन के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता, मीडियामैन, समूह 'ग'भर्ती नियम, 201**8** है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त है।

2. **पद की संख्या**, **वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों की संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मीडियामैन	01*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 4 (25,500 – 81,100 रु.)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल का जा सकती हैं।) **टिप्पणी 1 :** आयु-सीमा निर्धारित करने की तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।	सूक्ष्मजैविकी में स्नातक डिग्री।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष **टिप्पणी :** 2 वर्ष की अवधि में, यथाविहित, ऐसे अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा करना भी शामिल होगा।	सीधी भर्ती द्वारा- **टिप्पण 1:** पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष का या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर/विभाग में स्तर 3 (रु. 21,700-69,100) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो और (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षित अर्हताएं रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-** 1. निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता – अध्यक्ष 2. उप औषधि नियंत्रक (भारत)(पूर्वी जोन), कोलकाता – सदस्य 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/फार्मास्यूटिकल रसायनज्ञ/ बैक्टीरियोलॉजिस्ट/जीव रसायनज्ञ/भेषज गुणविज्ञानी, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. ए-12034/8/2017-डीआर]

डी. एन. साहू, उप सचिव

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 18th January, 2018

G.S.R.37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Central Drugs Laboratory, Calcutta (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the post of Mediaman, except as respects things done and omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mediaman in the Ministry of Health and Family Welfare ,Central Drugs Laboratory, Kolkata , namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Directorate General of Health Services, Central Drugs Laboratory, Kolkata, Mediaman, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in pay matrix .-** The number of post, its classification , the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mediaman.	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 4 (Rs. 25,500-81,100)	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree in Microbiology.	Not applicable.	Two years. **Note:-**The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government – (A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with three years' service in level 3 (Rs. 21,700-69100) rendered on a regular basis in the parent cadre/department and (B) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (8). **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fiftysix years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata - Chairman; (2) Deputy Drugs Controller (India) (East Zone), Kolkata – Member; (3) Senior Scientific Officer/Pharmaceutical Chemist/ Bacteriologist/Biochemist/ Pharmacologist, Central Drugs Laboratory, Kolkata- Member.	Not applicable.

[F. No. A.12034/8/2017-DR]

D. N. SAHOO, Dy. Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

सा.का.नि.38.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासन अधिकारी, भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं**,** अर्थात्:**-**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासन अधिकारी**,** भर्ती **(**संशोधन**)** नियम**, 2018** है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासन अधिकारी, भर्ती नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), "जल संसाधन मंत्रालय" जहां जहां वे आते हैं "जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण" शब्द रखे जायेंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात :-

"पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन निमयों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ **(2)** से **(4)** में विनिर्दिष्ट है।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची में –

(क) स्तंभ (4) में**,** स्तंभ शीर्ष और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, **निम्नलिखित** स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखीं जाएंगी**,** अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर - 7 वेतन मैट्रिक्स में (44900-142400/-रुपए)।";

(ख) स्तंभ (12) में,

(i) में "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए के वेतनमान" शब्दो और अंको के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)" शब्द**,** अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे;

(ii) "टिप्पण **1**" और "टिप्पण 3" का लोप किया जायेगा;

(ग) स्तंभ (13) में क्रम संख्या 4 में "मुख्य अनुसंधान अधिकारी" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर वैज्ञानिक 'घ' शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12018/32/2017-स्था.II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा. का. नि. 181 तारीख 2 जून, 2011 को भारत के राजपत्र**,** भाग II**,** खंड **3,** उप-खंड **(i)** में तारीख 1**8** जून, 2011 को प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 11th January, 2018

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative Officer, Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative Officer, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative Officer, Recruitment Rules, 2011, (hereinafter referred to as the said rules), for the words "Ministry of Water Resources" wherever they occur, the words "Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

4. In the Schedules to the said rules,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in pay matrix.
(4)
Level -7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.”;

(b) in column (12),-

(i) for the words and figures “the scale of pay of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 in pay band -2” the words, figures and brackets “level –6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix” shall be substituted;

(ii) “Note 1” and “Note 3” shall be omitted;

(c) in column (13), in serial number 4, for the words “Chief Research Officer”, the word and letter “Scientist “D” shall be substituted.

[F. No. A-12018/32/2017-E-II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 181, dated the 2nd June, 2011 in the Gazette of India, Part-II, Section3, Sub-section (i) dated the 18th June, 2011.

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2018

सा.का.नि.39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां तक केंदीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)।	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धातियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः जिसने स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।, स्तर-5, वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रुपये) की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगेः-** 1. निदेशक, वित्त एवं प्रशासन, नागर विमानन महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक (तकनीकी स्कंध), नागर विमानन महानिदेशालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)।	08* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-5	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) द्वारा और (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः जिसने स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II, स्तर-4 में, वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की है और निम्नलिखित रूप में व्यवसायिक परीक्षण स्कीम उत्तीर्ण की हो:- (i) वह अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने में सक्षम हो; (ii) उसे यातायात विनियम की पूरी जानकारी हो; (iii) उसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन के कार्यकरण की अच्छी जानकारी और उसे खराबियों का पता लगाने और चालन संबंधी छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधार करने में सक्षम होना चाहिए; और (iv) उसे कारबुरेटर और प्लग साफ करने में समर्थ होना चाहिए। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगेः-** 1. निदेशक, वित्त एवं प्रशासन, नागर विमानन महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक (तकनीकी स्कंध), नागर विमानन महानिदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर, श्रेणी-I में, स्तर- 4, वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रूपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:- (i) उसने व्यवसायिक परीक्षण स्कीम उत्तीर्ण की है; (ii) वह अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने में सक्षम हों; (iii) उसे यातायात विनियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए; (iv उसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन कार्यकरण की अच्छी जानकारी और उसे खराबियों का पता लगाने और चालन संबंधी छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधार करने में सक्षम होना चाहिए; और (v) उसे कारबुरेटर और प्लग साफ करने में समर्थ होना चाहिए। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-।।)।	06* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर-4	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः जिसने स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्तर-2, वेतन मैट्रिक्स, (19900-63200 रुपये) में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और निम्नलिखित रूप में व्यवसायिक परीक्षण स्कीम उत्तीर्ण की हैः- (i) वह अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने में सक्षम हों; (ii) उसे यातायात विनियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए; (iii) खराबियों का पता लगाने और चालन संबंधी छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधार करने में सक्षम हो; और (iv) उसे पहियों को बदलने और टायरों को सही तरीके से लगाने में सक्षम होना चाहिए। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों के ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगेः-** 1. निदेशक, वित्त एवं प्रशासन, नागर विमानन महानिदेशालय – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक (तकनीकी स्कंध), नागर विमानन महानिदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) स्तर- 2 में, वेतन मैट्रिक्स (19900-63200) की श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) उसने व्यवसायिक परीक्षण स्कीम उत्तीर्ण की हो; (ii) वह अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने में सक्षम हों; (iii) उसे यातायात विनियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए; (iv) खराबियों का पता लगाने और चालन संबंधी छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधार करने में सक्षम हो; और (v) उसे पहियों को बदलने और टायरों को सही तरीके से लगाने में सक्षम होना चाहिए। **टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (इसके इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)।	06* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-2	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष* के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख में भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो)। *यदि 'सीधी भर्ती' सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः (i) उसके पास मोटर कार का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो; (ii) उसे मोटर क्रियाविधि की जानकारी हो (अभ्यर्थी वाहन में छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); (iii) उसके पास मोटर कार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; (iv) उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। **वांछनीयः** होमगार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पणीः** अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले या पुनर्नियोजित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: नागर विमानन महानिदेशालय के ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह 'ग' कर्मचारी, स्तर-1, वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) जिनके पास मोटर कार चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए ड्राइविंग परीक्षण के आधार पर मोटर कार का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस है, में से कर्मचारी जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित डिस्पैच राइडर या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी, स्तर-1 वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रूपये) के ऐसे पदधारी कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में यथाविहित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं **सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्तिः** सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होना है या रिजर्व के लिए स्थानांतरित किया जाना है और उनके पास विहित अनुभव और अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया जा सकेगा और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति का	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगेः-** 1. निदेशक, वित्त एवं प्रशासन, नागर विमानन महानिदेशालय – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक (तकनीकी स्कंध) नागर विमानन महानिदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

कार्यकाल दिया जा सकेगा जिस तारीख को सशस्त्र बलों से उनकी निर्मुक्ति नियत है, उस तारीख के पश्चात उन्हें पुनर्नियुक्ति पर जारी रखा जा सकेगा। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/05/2010-स्था.II/भर्ती सेल]

सुनील कुमार अदलखा, उप निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi, the 15th January, 2018

G.S.R.39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Civil Aviation Department, Staff Car Drivers, Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers, in the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, Staff Car Drivers, Group ‘B’ and ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order in consultation with the Union Public Service Commission and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Special Grade).	1* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6	Non - selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade –I in level-5 (Rs. 29200-92300) in pay matrix with three years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:-** 1. Director, Finance and Administration, Directorate General of Civil Aviation –Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Civil Aviation – Member 3. Deputy Director (Technical Wing), Directorate General of Civil Aviation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade - I).	08* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-5	Non – selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Seventy five per cent. by promotion failing which by deputation including short term contract; and (ii) twenty five per cent. by deputation including short term contract.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Staff Car Driver Grade-II in level-4 (Rs. 25500-81100) in pay matrix having six years regular service in the grade or with a combined service of 15 years as Staff Car Grade – II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and having passed the Trade Test Scheme which shall be as follows:- (i) Must be able to read English numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of traffic regulation; (iii) must have good knowledge of petrol, diesel and CNG engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; and (iv) must be able to clear carburettor and plug. **Note 1.** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:-** Officers under the Central/State Governments/Union Territories/ Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) Staff Car Driver Grade-II in level-4 (Rs. 25500-81100) in pay matrix having six years regular service in the grade in the Parent Cadre/Department; and (b) possessing the following educational	**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-** 1. Director Finance and Administration, Directorate General of Civil Aviation – Chairman; 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Civil Aviation – Member; 3. Deputy Director (Technical Wing), Directorate General of Civil Aviation – Member.	Not applicable.

qualification and experience:- (i) must be passed the Trade Test Scheme; (ii) must be able to read English numerals and figures; (iii) must have a thorough knowledge of traffic regulation; (iv) must have good knowledge of petrol, diesel and CNG engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; and (v) must be able to clear carburettor and plug. **Note 1.** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Grade - II).	06* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-4	Non – selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation including short term contract.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Staff Car Driver (Ordinary Grade) level-2 (Rs. 19900-63200) in pay matrix having nine years regular service and passed the Trade Test Scheme which shall be as follows:- (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of traffic regulation; (iii) must be able to locate faults and carry out rectify minor running defects; and	**Group C Departmental Promotion Committee, for considering promotion, consisting of:-** 1. Director Finance and Administration, Directorate General of Civil Aviation – Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Civil Aviation – Member 3. Deputy Director (Technical Wing), Directorate General of Civil Aviation – Member.	Not applicable.

(iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres. **Note 1.** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:-** Officers under the Central/State Governments/ Union territories/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) Staff Car Driver (Ordinary Grade) level-2 (Rs. 19900-63200) in pay matrix having nine years regular service in the grade in the Parent Cadre/Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- (i) must be passed the Trade Test Scheme; (ii) must be able to read English numerals and figures; (iii) must have a thorough knowledge of traffic regulation; (iv) must be able to locate faults and carry out rectify minor running defects; and (v) must be able to change wheels and correctly inflate tyres. **Note 1.** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	6* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-2	Not applicable.

(6)	(7)

Between 18 to 25 years* (Relaxable for Government servant upto 40 in the case of general candidate and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those, in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). *If the 'direct recruitment' is to be made by direct open competitive examination, the age limit shall be between 18-27 years.	**Essential:** (i) Possessing a valid driving licence for motor cars; (ii) knowledge of Motor Mechanism; (The candidates should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10th standard pass from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.	**Deputation/Absorption:** From amongst the regular Dispatch Riders (Group C) and Group 'C' employees in level-1 (Rs. 18000-56900) in pay matrix of Directorate General of Civil Aviation who possess valid Driving Licence for Motor Cars on the basis of Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from official holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level-1 (Rs. 18000-56900) in pay matrix, in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as prescribed in column (7). Deputation/ re-employment for Armed Force Personnel: The Armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed forces, thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)

Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee, for considering confirmation, consisting of:- 1. Director Finance and Administration, Directorate General of Civil Aviation – Chairman; 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Civil Aviation – Member; 3. Deputy Director (Technical Wing), Directorate General of Civil Aviation – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/05/2010–E-II/R-Cell]

SUNIL KUMAR ADLAKHA, Dy. Director of Admn.

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

सा.का.नि.40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र आयुक्त कार्यालय (समूह ग, घ अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 1989, जहां तक उनका संबंध लागत अधिकारी के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय वस्त्र आयुक्त कार्यालय में लागत अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, लागत अधिकारी समूह ‘घ’ (अराजपत्रित) पद, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हो, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हो ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पडेगा , जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. लागत अधिकारी	4* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 6 (रु.35400-1,12,400/-)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक न हो। **टिप्पण 1**: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के विहित की गई है)	**आवश्यक:** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लागत विषय के साथ वाणिज्य या अर्थशास्त्र में डिग्री। 2. लागत और वित्तीय समस्याओं पर विचार करने एवं आर्थिक समाचार एकत्रित करने वित्तीय/लागत रिपोर्ट तैयार करने में मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से 2 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1. वाणिज्य या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. कम्प्यूटर ऑपरेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए/संघ लोग सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंध अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पणी:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किन्ही परिस्थिति में एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी। (क) 1- जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या जिन्होंने मूल काडर या

		विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300) रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की हो। (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पणी 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिती है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अतिरिक्त अथवा संयुक्त वस्त्र आयुक्त -अध्यक्ष 2. किसी बाहरी कार्यालय से एक अधिकारी -सदस्य 3. निदेशक या उप निदेशक जो प्रशासन प्रभारी हो -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[मिसिल सं. ए-46013/29/2016-स्था.]

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 9th January, 2018

G.S.R.40 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Textile Commissioner (Group C and D Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Costing Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Costing Officer in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, Costing Officer (Group 'B' Non-Gazetted post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Costing Officer.	4* (2017) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non–Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 6 (Rs. 35,400-1,12,400/-).	Not applicable.	Not exceeding 30 years. **Note 1:** Relaxable to Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation or transfer and percentage of posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Degree in Commerce or Economics from a recognised University with costing as one of the subject; (ii) two years' experience in dealing with costing and financial problems, collecting economic intelligence and preparing financial or costing reports from a recognised	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment :- **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent

institute or an organisation. **Desirable:** (i) Master Degree in Commerce or Economics from a recognised University; (ii) Diploma or Certificate course in Computer Operation. **Note 1:** The qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			cadre or department; or (ii) having six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level -5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum – age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Additional or Joint Textile Commissioner -Chairman (2) Officer from other office (outside) -Member (3) Director or Deputy Director in charge of Administration - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-46013/29/2016-Estt.]

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

सा.का.नि.41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय में मल्टी-टास्किंग स्टाफ समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, मल्टी-टास्किंग स्टाफ समूह **'ग'** पद, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,-

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	23* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 1 (18000 + 56900)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 25 वर्ष की आयु के बीच **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित	**अनिवार्य:** मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य पास			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे-** 1. निदेशक या उप-सचिव (प्रशासन), वस्त्र मंत्रालय -अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना), वस्त्र मंत्रालय -सदस्य 3. अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय -सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/2/2013-स्था.]

मतियस बिहां, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2018

G.S.R.41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Textiles Junior Gestetner Operator Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi-Tasking Staff, Group 'C' posts in the Ministry of Textiles, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Multi-Tasking Staff Group 'C' post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classifications and level in the pay matrix.-** The number of posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc,.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff.	23 * (2017) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -1 (Rs. 18000 – 56900)	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion /deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : Matriculation or equivalent pass from a recognised board or institute.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Textiles -Chairman; 2. Under Secretary (Establishment) Ministry of Textiles -Member. 3. Under Secretary, Ministry of Textiles - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/2/2013-Estt.]

MATIAS BIHAN, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

सा.का.नि.42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखाकार, समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखाकार समूह 'ख') भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखाकार समूह 'ख') भर्ती नियम, 2012 में-

   (क) नियम 2 में, शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर दोनों जगह, जहां वे विद्यमान हों "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जायेंगे;

   (ख) अनुसूची में,-

      (i) स्तंभ (4) में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात्:-

      "वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)";

(iii) स्तंभ (11) के अधीन,-

(अ) पैरा अ(क) में, प्रविष्टि "वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रुपए" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए)"

(आ) पैरा आ (क) (ii) में, प्रविष्टि "5200-20,200 वेतनमान में वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2800 रुपए" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रुपए);

(इ) पैरा आ (क) (iii) में, प्रविष्टि "5200-20,200 वेतनमान में वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2400 रुपए" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए)";

[फा. सं. ए-12018/3/2009/स्था.II]

अचिंत कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत में राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का. नि. 251, तारीख 4 अक्तूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 3rd January, 2018

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education [Accountant, Group 'B'] Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education [Accountant, Group 'B'] Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, [Accountant, Group 'B'] Recruitment Rules, 2012,—

(a) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale", occurring at both the places, the words "Level in the Pay Matrix" Shall be substituted;

(b) in the Schedule,—

(i) in column (4), for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Level in the Pay Matrix";

(ii) for the entry under column (4), the following entry shall be substituted, namely;—

"Level – 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) in the Pay Matrix";

(iii) under column (11),—

(A) in para A.(a), for the entry "Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2400/-", the following entry shall be substituted, namely:—

"Level – 4 (Rs. 25,500 – 81,100) in the pay matrix";

(B) in para B.(a) (ii), for the entry "Pay Band-1 in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800/-", the following entry shall be substituted, namely:—

"Level-5 (Rs. 29,200 – 92,300) in the Pay Matrix";

(C) in para B.(a) (iii), for the entry "Pay Band-1 in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2400/-", the following entry shall be substituted, namely:—

"Level-4 (Rs. 25,500 – 81,100) in the Pay Matrix".

[F. No. A-12018/3/2009/E-II]

ACHINT KUMAR, Under Secy.

Foot Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Part- I, Section-3, Sub- Section (i), vide number G.S.R 251, dated the 4th October 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.13 15:30:09 +05'30'